अध्याय I : भूमिका

1.1 लेखापरीक्षित संस्थाओं की रूपरेखा

यह प्रतिवेदन रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित संगठनों की वित्तीय लेन-देन की लेखापरीक्षा में उठे मामलों से संबंधित हैः

- थल सेना,
- अन्तर्सेवा संगठन,
- रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और प्राथमिक रूप से थल सेना और आयुध निर्माणियों को समर्पित उसकी प्रयोगशालाएं
- रक्षा लेखा विभाग,
- आयुध निर्माणियाँ और
- रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

रक्षा मंत्रालय शीर्ष स्तर पर रक्षा संबंधी सभी मामलों पर नीति निर्देश बनाता है। यह चार विभागों में विभाजित है, जैसे रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान एवं विकास विभाग और पूर्व-सैनिक कल्याण विभाग। प्रत्येक विभाग का अध्यक्ष सचिव होता है। रक्षा सचिव जो कि रक्षा विभाग का अध्यक्ष होता है, अन्य विभागों के कार्यकलापों के साथ भी समन्वय करता है।

भारतीय सेना को बाहरी आक्रमण और आंतरिक विद्रोह से राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने का कार्य सौंपा गया है। थल सेना का प्राथमिक उत्तरदायित्व बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता की सुरक्षा करना है। यह प्राकृतिक आपदाओं और आंतरिक अशान्ति के समय भी सिविल प्राधिकारियों की मदद करती है। इसलिए, थल सेना के लिए आवश्यक है कि वह उचित तरीके से सुसज्जित, आधुनिक हो और इन चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करे।

अन्तर्सेवा संगठन, जैसे सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं, सैन्य अभियंता सेवाएं (एम ई एस), रक्षा संपदा, गुणवत्ता आश्वासन इत्यादि रक्षा बलों के तीन संभागों थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सेवार्थ है। ये इष्टतम लागत-प्रभावी सेवाएं देने के लिए सामान्य संसाधनों के विकास एवं रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। ये सीधे रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करते हैं।

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी आर डी ओ) रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग के अंर्तगत काम करता है। डी आर डी ओ रक्षा प्रणालियों में आत्म

निर्भरता बढ़ाने की दिशा में डिजाइन एवं विकास का कार्य देखते हुए तीनों सेवाओं द्वारा निर्धारित की गई जरूरतों और गुणात्मक आवश्यकताओं के अनुसार विश्व स्तर की हथियार प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन के लिए समर्पित है। डी आर डी ओ की प्राथमिकता अपनी प्रयोगशालाओं की श्रृंखला के माध्यम से भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता में वृद्धि हेतु अनुसंधान एवं विकास करना है। यह वैमानिकी, शस्त्र, युद्धक वाहनों, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपकरणों, अभियांत्रिकी प्रणालियों, मिसाइलों, सामग्री, नौसेना प्रणालियों, उन्नत कम्प्यूटिंग, अनुरूपण और जीव विज्ञान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है।

आयुध निर्माणी बोर्ड (ओ एफ बी) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत कार्य करता है, जिसका प्रमुख, महानिदेशक आयुध निर्माणियाँ होता है। उन्तालिस आयुध निर्माणियां सैन्य बलों के लिए आयुध भंडार का उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए उत्तरदायी हैं।

रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (डी पी एस यू) रक्षा उत्पादन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करते हैं। इसके अंतर्गत कुल नौ डी पी एस यू हैं जिनके अध्यक्ष चैयरमैन सह मैनेजिंग डायरेक्टर (सी एम डी) होते हैं।

1.2 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

हमारी लेखापरीक्षा का प्राधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 और नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 से लिया गया है। हम सी ए जी की (डी पी सी) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की लेखापरीक्षा करते हैं। प्रमुख छावनी बोर्ड इस अधिनियम की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षित किए जाते हैं। अनुपालन लेखापरीक्षा के सिद्धांत और कार्य प्रणालियां "लेखापरीक्षा और लेखा विनियम, 2007" में निहित हैं।

1.3 लेखापरीक्षा पद्धति और प्रक्रिया

लेखापरीक्षा को प्राथमिकता के आधार पर विश्लेषण और जोखिम के मूल्यांकन के माध्यम से प्रमुख परिचालन इकाइयों में उनके महत्व की समीक्षा का आकलन करने के लिए किया जाता है। किया गया व्यय, परिचालन महत्व, अतीत के लेखापरीक्षा परिणाम और आंतरिक नियंत्रण की शक्ति आदि जोखिम की गंभीरता को निर्धारित करने के मुख्य कारकों में एक हैं। जोखिम मूल्यांकन के आधार पर लेखापरीक्षा करने के लिए एक वार्षिक लेखापरीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखापरीक्षित इकाई के लेखापरीक्षा निष्कर्ष, स्थानीय नमूना लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/मामलों के विवरण के माध्यम से सूचित किए जाते हैं। लेखापरीक्षित इकाई की प्रतिक्रिया पर विचार किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा की टिप्पणी का या तो निपटान कर दिया जाता है या फिर अनुपालन हेतु उसे अगले लेखापरीक्षा चक्र के लिए निर्दिष्ट कर दिया जाता है। गंभीर अनियमितताओं को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए जाने के लिए ड्राफ्ट पैराग्राफ के रूप में परिवर्तित किया जाता है जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत संसद के प्रत्येक सदन में रखने के लिए भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। निष्पादन लेखापरीक्षा, संरचनाबद्ध प्रयोग के माध्यम से लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र को परिभाषित करके, एंट्री कान्फ्रेंस, इकाइयों के नमूनों,एग्जिट कान्फ्रेंस, ड्राफ्ट रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया अन्तरनिष्ट कर तथा अन्तिम प्रतिवेदन जारी कर, की जाती है।

1.4 प्रतिवेदन की संरचना

इस रिपोर्ट में तीन निष्पादन समीक्षाएं और 20 लेखापरीक्षा पैराग्राफ से संबंधित आठ अध्याय हैं जो कि थल सेना, अंतर सेवा संगठनों, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, रक्षा लेखा विभाग, आयुध निर्माणियों और डी पी एस यू के वित्तीय लेनदेन की लेखापरीक्षा पर आधारित हैं।

1.5 वित्तीय पहलू और बजटीय प्रबंधन

1.5.1 भूमिका

रक्षा मंत्रालय का बजटीय आबटंन आठ अनुदान मांगों के अधीन समाविष्ट है, जिसमें छः अनुदान रक्षा सेवाओं के अनुमानों (डी एस ई) के अधीन और दो सिविल अनुदानों के अधीन सम्मिलित हैं।

- दो सिविल अनुदान जिसमें माँग संख्या 20- रक्षा मंत्रालय (सिविल) एवं माँग संख्या 21- रक्षा पेंशन सम्मिलित हैं।

- रक्षा मंत्रालय के छः अनुदान जो निम्नलिखित को सम्मिलित करते हैं:

  मांग संख्या 22, रक्षा सेवाएं - थल सेना

  मांग संख्या 23, रक्षा सेवाएं - नौसेना

  मांग संख्या 24, रक्षा सेवाएं - वायु सेना

  मांग संख्या 25, रक्षा आयुध निर्माणियाँ

  मांग संख्या 26, रक्षा सेवाएं - अनुसंधान एवं विकास

मांग संख्या 27 रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय - इसमें रक्षा मंत्रालय (सिविल) के अनुदान हेतु मांगों को छोड़कर सभी सेवाएं और विभाग समाविष्ट हैं।

- सीमा सड़क संगठन के लिए बजटीय आवश्यकताओं का प्रावधान सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

उपरोक्त अनुदानों को मोटे तौर पर राजस्व तथा पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- **राजस्व व्ययः** इसमें वेतन एवं भत्ते, परिवहन, राजस्व भंडार (जैसे आयुध भंडार, आयुध निर्माणियों से आपूर्तियां, राशन, पेट्रोल, तेल व स्नेहक, पुर्जे आदि), राजस्व निर्माण कार्य (जिसमें भवनों का रखरखाव, जल और विद्युत प्रभार, किराये, दर एवं कर आदि) पर किया गया व्यय तथा विविध व्यय शामिल हैं।

- **पूंजीगत व्ययः** इसमें भूमि, नए हथियार और गोलाबारूद का अधिग्रहण, सेनाओं का आधुनिकीकरण, निर्माण कार्य, संयंत्र एवं मशीनरी, उपस्कर, टैंकों, नौसैनिक पोत, वायुयान और एयरो-इंजन, गोदीबाड़े आदि पर किए गए व्यय शामिल हैं।

अनुदान के लिए विभिन्न मांगों के तहत सकल व्यय प्रावधान के लिए संसद[1] का अनुमोदन लिया जाता है। प्राप्तियां और वसूलियां,जिसमें अधिशेष/अप्रचलित भण्डार का बिक्री-लाभ, राज्य सरकारों/अन्य मंत्रालयों आदि को दी गई सेवाओं से प्राप्तियां और अन्य विविध मदों को रक्षा सेवाओं की छह मांगों के लिए, अर्थात् संख्या 22 से 27 की मांग के निवल व्यय पर पहुंचने के लिए, सकल व्यय से काटा जाता है। इन अनुदानों का एक संक्षिप्त विश्लेषण, अनुदान संख्या 23, रक्षा सेवाएं- नौसेना एवं अनुदान संख्या 24, रक्षा सेवाएं-वायु सेना को छोड़कर जिसके बारे में अलग रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है, नीचे दिया गया है ।

1.5.2 अनुदान संख्या 20 और 21- सिविल अनुदान से व्यय

1.5.2.1 अनुदान संख्या 20 - रक्षा मंत्रालय का व्यय (सिविल)

अनुदान संख्या 20 के तहत ₹19,467 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति वर्ष 2014-15 का वास्तविक व्यय ₹19,363 करोड़ था। इसमें राजस्व शीर्ष के अंतर्गत ₹18,175 करोड़ और पूंजीगत शीर्ष के तहत ₹1,188 करोड़ का व्यय सम्मिलित था। इस व्यय के प्रमुख घटक **तालिका -1** में दर्शाए गए है:

[1] रक्षा पर स्थायी समिति की प्रतिवेदन संख्या 20 (2012-13, पंद्रहवीं लोकसभा)

तालिका -1 : राजस्व और पूंजीगत व्यय के प्रमुख घटकों को दर्शाने वाली तालिका

राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय	
विभाग का नाम	**₹ करोड़ में**	**विभाग का नाम**	**₹ करोड़ में**
कैंटीन भण्डार विभाग (सी एस डी)	14199	सीमा शुल्क-सी जी ओ	1142
रक्षा लेखा विभाग (डी ए डी)	1136	डी इ ओ- अन्य भवन	24
तट रक्षक संगठन (सी जी ओ)	1287	डी ए डी- अन्य भवन	17
जम्मू-कश्मीर लाइट इन्फैंट्री (जे ए के एल आई)	969	सी एस डी द्वारा युनिट रन कैंटीन (यू आर सी) को विविध ऋण	2
रक्षा संपदा संगठन (डी इ ओ)	390	अन्य विभाग	3
अन्य विभाग	194		

1.5.2.2 अनुदान संख्या 21 - रक्षा पेंशन

रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा पेंशन, तीन सेवाओं के अर्थात् थल सेना, नौसेना और वायु सेना से सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों (रक्षा असैनिक कर्मचारियों सहित) और आयुध निर्माणियों आदि के कर्मचारियों के संबंध में पेंशन प्रभार प्रदान करता है । इसमें सेवा पेंशन, उपदान, परिवार पेंशन, अशक्तता पेंशन, पेंशन के रूपान्तरित मूल्य, अवकाश नकदीकरण आदि का भुगतान सम्मिलित हैं।

इस अनुदान के तहत वर्ष 2014-15 के बजटीय आबंटन और व्यय निम्नानुसार है:

तालिका-2: बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय
51,000	50,000	60,450

संशोधित अनुमान से अधिक ₹10,450 करोड़ का अतिरिक्त व्यय बजट अनुमान में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

1.6 अनुदान संख्या 22 से 27 तक - रक्षा सेवाओं के अनुमान

1.6.1 सरसरी दृष्टि से

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कुल रक्षा बजट (अनुदान संख्या 22 से 27) आंबटन और वास्तविक व्यय (दत्तमत और भारित) **तालिका-3** में दर्शाया गया हैः

तालिका -3 : कुल रक्षा बजट आबंटन तथा वास्तविक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक व्यय
2010-11	1,56,127	1,58,723
2011-12	1,78,891	1,75,898
2012-13	1,98,526	1,87,469
2013-14	2,17,649	2,09,789
2014-15	2,54,000	2,37,394

2014-15 में वास्तविक रक्षा व्यय संबंधी आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में 13.16 प्रतिशत की वृद्धि और 2010-11 से 49.56 की कुल वृद्धि दर्शाता है ।

1.6.2 रक्षा सेवाओं में राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए पूँजीगत और राजस्व व्यय (दत्तमत) नीचे **चार्ट-1** में दर्शाया गया है:

चार्ट-1: राजस्व व्यय बनाम पूंजीगत व्यय (दत्तमत)

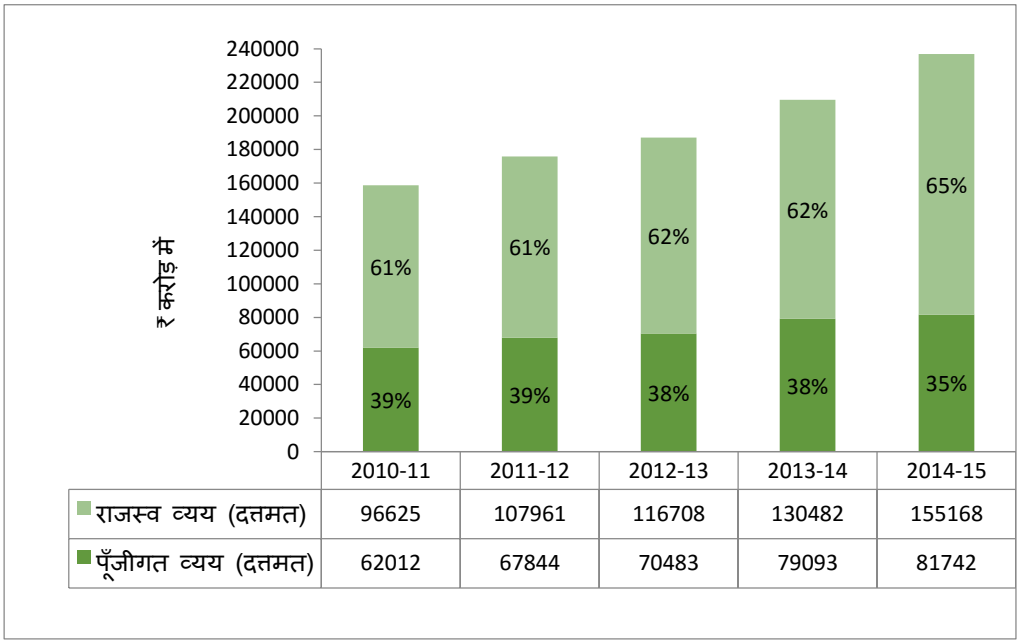

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व व्यय (दत्तमत)	96625	107961	116708	130482	155168
पूँजीगत व्यय (दत्तमत)	62012	67844	70483	79093	81742

उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि कुल रक्षा व्यय (दत्तमत) के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत और राजस्व व्यय का अनुपात 2010-11 से 2014-15 के दौरान 35 एवं 39 प्रतिशत के बीच रहा। तथापि पिछले वर्ष 2014-15 की तुलना में राजस्व व्यय में तीन प्रतिशत की वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय में समरूपी कमी हुई है।

1.7 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी (पूँजीगत एवं राजस्व) से संबंधित व्यय (दत्तमत) का ब्यौरा - अनुदान संख्या 22, 25, 26 और 27[2]

2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी से संबंधित राजस्व और पूंजीगत व्यय को दर्शाने वाले व्यय (दत्तमत) का विस्तृत विश्लेषण नीचे **तालिका- 4** में दर्शाया गया हैः

तालिका-4: थल सेना,आयुध निर्माणियाँ एवं आर एंड डी के व्यय (दत्तमत)

(₹ करोड़ में)

अनुदानों का विवरण	व्यय के घटक	वर्ष				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
थल सेना	वास्तविक	80,790	86,776	94,274	1,02,139	1,17,700
	राजस्व	65,002 (80.46)	71,833 (82.78)	79,517 (84.35)	87,720 (85.88)	99,139 (84.23)
	पूँजीगत	15,788 (19.54)	14,943 (17.22)	14,757 (15.65)	14,419 (14.12)	18,561 (15.77)
आयुध निर्माणियाँ	वास्तविक	1,527	1,704	2,116	3,964	13,576
	राजस्व	1,073 (70.30)	1,428 (83.79)	1,754 (82.88)	3,499 (88.26)	12,830 (94.50)
	पूँजीगत	454 (29.70)	276 (16.21)	349 (16.60)	465 (11.74)	746 (5.50)
आर एंड डी	वास्तविक	1,0192	9,932	9,860	10,929	13,635
	राजस्व	5,231 (51.32)	5,321 (53.58)	5,218 (52.92)	5,696 (52.12)	6,236 (45.74)
	पूँजीगत	4,961 (48.68)	4,611 (46.43)	4,642 (47.08)	5,233 (47.88)	7,399 (54.26)

टिप्पणीः कोष्ठक में दिए गए अंक राजस्व/पूँजीगत व्यय के कुल वास्तविक व्यय की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत करता है।

- 2014-15 के दौरान थल सेना के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 15.24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 28.73 प्रतिशत की और राजस्व व्यय में 13.02 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 से, व्यय के घटकों में क्रमश: 45.68 प्रतिशत, 52.51 प्रतिशत एवं 17.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

[2]अनुदान संख्या 23- नौसेना एवं अनुदान संख्या 24- वायु सेना का विश्लेषण संघ सरकार (रक्षा सेवाएं) वायु सेना एवं नौसेना से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में किया गया है।

- उपरोक्त **तालिका-4** में दर्शाए गए 2014-15 के दौरान आयुध निर्माणी (ओ एफ) बोर्ड के व्यय में वृद्धि, लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हुई जहाँ व्यय की "सकल" राशि पर संसद की स्वीकृति ली गई। पिछले वर्षों के दौरान यह स्वीकृति 'निवल लेखांकन' के आधार पर ली जा रही थी।

- 2014-15 के दौरान आर एंड डी के कुल व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में 24.76 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसमें पूंजीगत व्यय में 41.38 प्रतिशत की वृद्धि और राजस्व व्यय में 9.48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2010-11 से, व्यय के घटकों में क्रमश: 33.78 प्रतिशत, 19.22 प्रतिशत एवं 49.14 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

1.7.1 थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय की प्रवृत्ति - पूँजीगत और राजस्व

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान वास्तविक व्यय के अनुपात के रूप में थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के संबंध में कुल व्यय दोनों पूंजीगत और राजस्व की प्रवृत्ति नीचे **चार्ट-2** में दर्शायी गई है:

चार्ट-2: कुल व्यय के प्रतिशतता के रूप में राजस्व और पूंजीगत व्यय की प्रवृत्ति

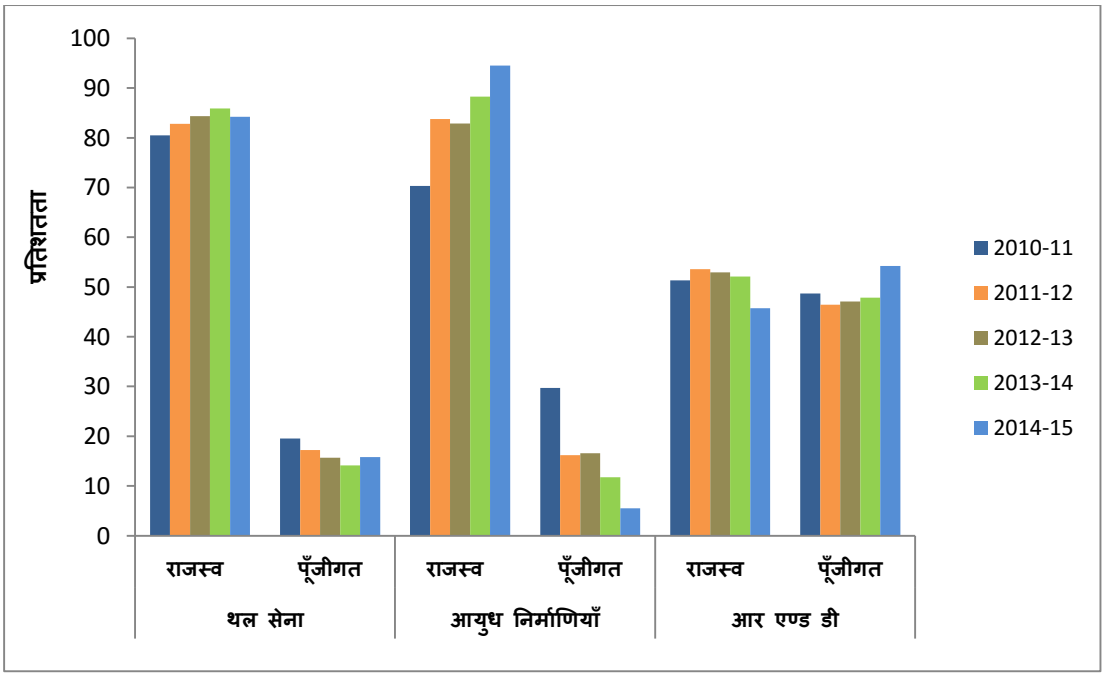

- **थलसेना:** 2014-15 में थल सेना के कुल व्यय के राजस्व घटक में 2010-11 से 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो कि 2010-11 में 80 प्रतिशत थी वह 2014-15 में 84 प्रतिशत हो गई, जबकि पूंजीगत घटक में उसी अवधि के दौरान 20 प्रतिशत (2010-11) से 16 प्रतिशत (2014-15) में तदनरूप कमी हुई है।

- **आयुध निर्माणियां:** 2010-11 से 2014-15 तक की अवधि के लिए आयुध निर्माणियों द्वारा व्यय का राजस्व और पूंजीगत घटक एक सुसंगत वृद्धि दर्शाता है। ऊपर तालिका-4 में दर्शाए गए वर्ष 2014-15 के आंकड़े भी लेखाकंन प्रणाली में 'लेखांकन के निवल आधार' से 'लेखांकन के सकल आधार' में परिवर्तन के कारकों को दर्शाते हैं।

- **अनुसंधान एवं विकासः** अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान 2010-11 में 51 प्रतिशत से 2014-15 में 46 प्रतिशत तक 05 प्रतिशत की कमी हुई है, जबकि पूँजीगत व्यय में 49 प्रतिशत से 54 प्रतिशत की समरूपी प्रतिशतता की वृद्धि हुई है।

1.8 राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों की प्रवृत्ति (दत्तमत)

1.8.1 थल सेना (दत्तमत)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय थल सेना के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत किया गया था, यथा नीचे **तालिका- 5** और **चार्ट-3** में दर्शाया गया हैः

तालिका-5 : थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-101 एवं 103)	35,445	39,996	46,057	50,533	56,997
भण्डार (लघु शीर्ष-110)	12,144	12,442	12,750	13,954	15,324
कार्य (लघु शीर्ष-111)	5,308	5,709	5,769	6,384	7,399
राष्ट्रीय राईफल्स (लघु शीर्ष-112)	3,099	3,585	4,076	4,436	4,967
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते (लघु शीर्ष-104)	3,051	3,361	3,674	4,056	4,422

चार्ट-3 : थल सेना के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

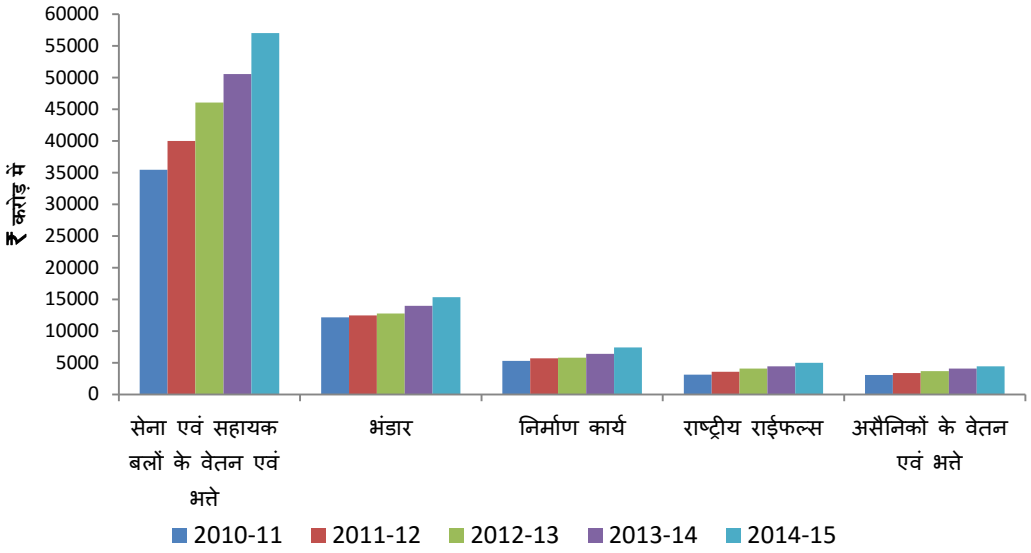

- 2014-15 में सेना के राजस्व व्यय में 13 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रति उच्चतम व्यय वाले पांच लघु शीर्षों अर्थात् सेना एवं सहायक बलों के वेतन एवं भत्ते, भण्डारों, निर्माण कार्य, राष्ट्रीय राईफल्स एवं असैनिकों के वेतन एवं भत्तों में समग्र वृद्धि 9 और 16 प्रतिशत के बीच थी।

1.8.2 आयुध निर्माणियां (दत्तमत)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय, आयुध निर्माणियों के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे **तालिका- 6** और **चार्ट-4** में दर्शाया गया है:

तालिका-6: आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भंडार लघु शीर्ष- 110	5,705	6,101	5,692	5,990	5,686
विनिर्माण लघु शीर्ष- 054	3,500	4,415	4,336	4,563	4,961
नवीनीकरण एवं आरक्षित (आर एवं आर) निधि लघु शीर्ष- 797	600	325	350	375	400
नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन लघु शीर्ष- 106	208	310	416	697	442
अन्य व्यय लघु शीर्ष- 800	583	650	768	795	911

चार्ट -4 : आयुध निर्माणियों के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

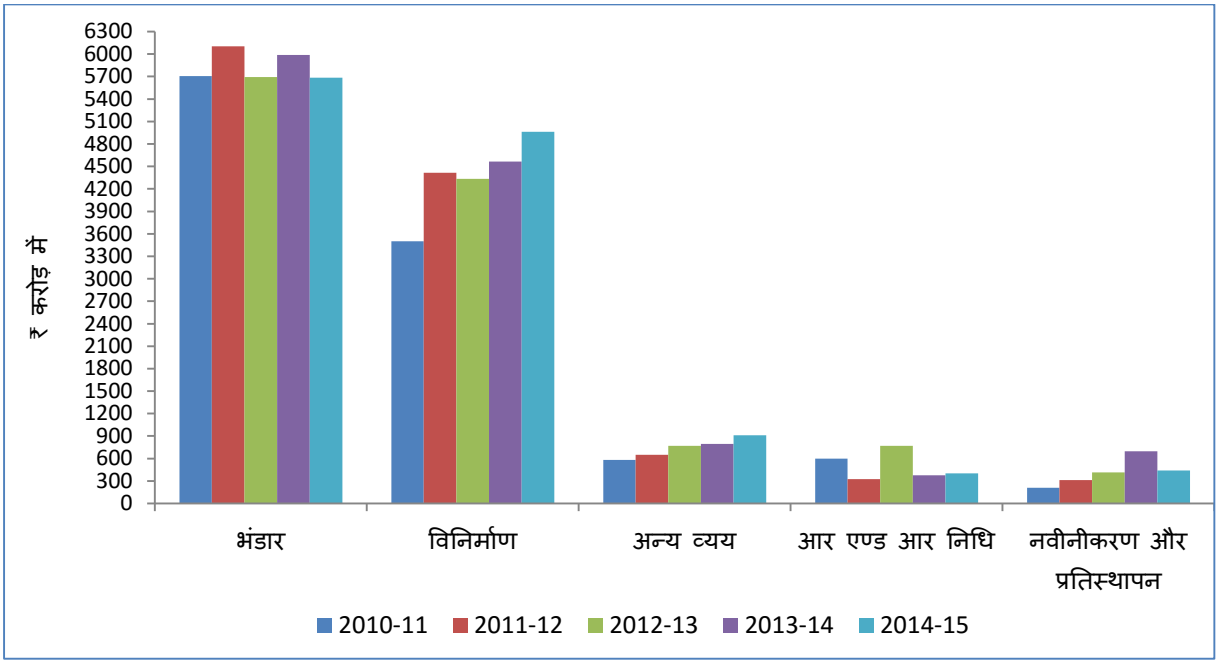

1.8.3 अनुसंधान एवं विकास (दत्तमत)

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान अधिकतम राजस्व व्यय आर एण्ड डी के पाँच लघु शीर्षों (एम एच) के अंतर्गत हुआ था, यथा नीचे **तालिका-7** और **चार्ट-5** में दर्शाया गया है:

तालिका-7: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

(₹ करोड़ में)

व्यय के घटक	वर्ष				
	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
भंडार लघु शीर्ष-110	1,666	1,774	1,870	1,837	2,063
असैनिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 102	1,410	1,535	1,694	1,865	2,021
आर एंड डी लघु शीर्ष- 004	1,218	984	517	765	733
निर्माण कार्य लघु शीर्ष- 111	492	543	621	669	790
सेवा कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते लघु शीर्ष- 101	202	198	226	251	285

चार्ट-5: अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय के प्रमुख घटक

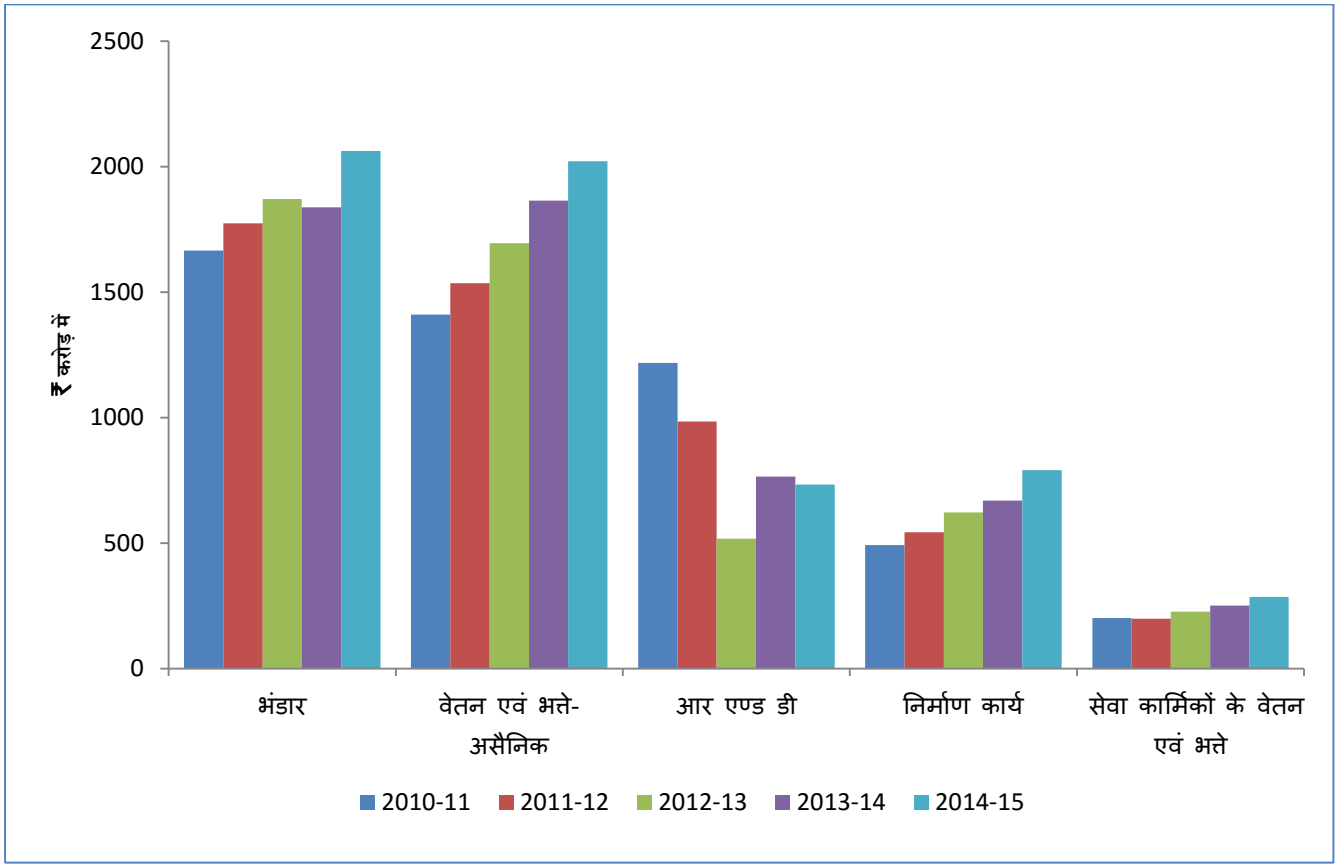

- वर्ष 2014-15 में अनुसंधान एवं विकास के राजस्व व्यय में 9.5 प्रतिशत की समग्र वृद्धि के प्रति उच्चतम व्यय वाले चार लघु शीर्षों अर्थात् भण्डारों, असैनिकों के वेतन एवं भत्ते, निर्माण कार्य, और सेवा के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि 8 और 18 प्रतिशत के बीच थी। हालांकि, लघु शीर्ष अनुसंधान एवं विकास के मामले में, पिछले वर्ष की तुलना में 4 प्रतिशत की कमी आई थी।

1.9 पूँजीगत व्यय की प्रवृत्ति - मुख्य शीर्ष- 4076- अनुदान संख्या 27- रक्षा सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय

1.9.1 पूंजीगत व्यय के घटक

इस अनुदान के अंतर्गत आठ उप मुख्य शीर्ष हैं, (एस एम एच) अर्थात् उप मुख्य शीर्ष 01- थल सेना, उप मुख्य शीर्ष 02- नौसेना, उप मुख्य शीर्ष 03- वायु सेना, उप मुख्य शीर्ष 04- आयुध निर्माणियां, उप मुख्य शीर्ष 05- आर एंड डी, उप मुख्य शीर्ष 06- निरीक्षण संगठन, उप मुख्य शीर्ष 07- विशेष धातु एवं उत्तम मिश्रधातु परियोजनाएं तथा उप मुख्य शीर्ष 08- प्रौद्योगिकी विकास।

1.9.2 थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय[3] (दत्तमत) की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2010-11 से 2014-15 की अवधि के दौरान थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एंड डी के पूंजीगत व्यय के ब्यौरे नीचे **तालिका- 8** में दर्शाए गए हैः

तालिका- 8: कुल पूंजीगत व्यय (रक्षा सेवाएं) बनाम थल सेना, आयुध निर्माणियां और आर एण्ड डी

(₹ करोड़ में)

पूंजीगत व्यय	वर्ष				
	2010-11	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15**
रक्षा सेवाएं	62,012	67,844	70,483	79,093	81,742
थल सेना	15,788	14,943	14,757	14,419	18,561
आयुध निर्माणियाँ	454	276	349	465	746
अनुसंधान एवं विकास	4,961	4,611	4,642	5,233	7,399

- **रक्षा सेवाओं का पूंजीगत व्यय:** पिछले वर्ष की तुलना में 2014-15 में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में 3.35 प्रतिशत की वृद्धि अंकित हुई है। थल सेना, आयुध निर्माणियां एवं अनुसंधान एवं विकास के मामले में वार्षिक वृद्धि क्रमश: 29, 60 एवं 41 प्रतिशत थी। 2010-11 से 2014-15 के पाँच वर्ष के अंतराल में रक्षा सेवाओं के पूंजीगत व्यय में कुल 32 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति थल सेना, आयुध निर्माणियाँ तथा अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत व्यय की वृद्धि क्रमश:18, 65 एवं 49 प्रतिशत थी।

1.10 लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों पर मंत्रालय/विभाग की प्रतिक्रिया

लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) ने सभी मंत्रालयों को जून 1960 में लेखापरीक्षा ड्राफ्ट पैराग्राफों जो कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरिक्षक के प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये हैं, पर अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के अन्दर भेजने के निर्देश दिये थे।

[3] एस एम एच - 02 तथा एस एम एच - 03 को संघ सरकार (रक्षा सेवाएं), वायु सेना तथा नौसेना की संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट में अलग से विश्लेषित किया गया है। एस एम एच-06 तथा एस एम एच - 08 के संबंध में 2010-11 से 2014-15 की अवधि के लिए कुल व्यय क्रमशः ₹44 करोड़ तथा ₹140 करोड़ था। एस एम एच - 07 के संबंध में इन वर्षों के दौरान व्यय शून्य था।

ड्राफ्ट पैराग्राफ, संबंधित मंत्रालय/विभागों के सचिवों को लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए एवं अपनी प्रतिक्रिया छः सप्ताह के भीतर भेजने की प्रार्थना के साथ अग्रेषित कर दिए जाते हैं इसे उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया जाता है कि इन पैराग्राफों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों जो कि संसद में प्रस्तुत किये जाते हैं, में शामिल किये जाने की संभावना होती है, अतः इस पर उनकी टिप्पणियों को शामिल करना वांछनीय होगा।

ड्राफ्ट पैराग्राफ जोकि इस प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किये गये थे, दिसम्बर 2015 तथा फरवरी 2016 के बीच संबंधित सचिवों को व्यक्तिगत तौर पर संबोधित पत्रों द्वारा अग्रेषित किए गए थे।

रक्षा मंत्रालय ने अध्याय **II** से **VIII** तक में प्रस्तुत 23 पैराग्राफों में से 17 पैराग्राफों के उत्तर नहीं भेजे (मार्च 2016)।

1.11 पूर्व के लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रस्तुत किये गये सभी मामलों पर कार्यपालिका की जवाबदेही निश्चित करने की दृष्टि से लोक लेखा समिति की इच्छा थी कि 31 मार्च 1996 को समाप्त वर्ष के बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबंधित सभी पैराग्राफों पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी (ए टी एन) लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत जाँच करने के बाद संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के चार माह के भीतर उन्हें प्रस्तुत कर दिया जाए।

मार्च 2016 तक थल सेना से संबंधित की गई कार्यवाही की टिप्पणी की समीक्षा इंगित करती है कि मार्च 2013 को समाप्त वर्ष तक के 50 पैराग्राफों एवं 2015 के प्रतिवेदन सं 19 पर की गयी कार्यवाही की टिप्पणी बकाया थी जिनमें से 9 पैराग्राफों के संबंध में मंत्रालय ने अभी तक प्रारम्भिक ए टी एन कार्यवाही टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की थी एवं 11 ए टी एनों (क्र. स. 1 से 11) में की गई कार्यवाही की टिप्पणियाँ 10 वर्षों से अधिक समय से बकाया है जैसाकि **अनुलग्नक - I** में दिखाया गया है।